संख्या-118 /2026/2563/26-3-2026-2004864

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर 2026

विषयः **डा0 बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत धनराशि जनपदों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-62/स0क0/एस0सी0पी0/डा0बी0आर0अम्बे0मू0वि0/2026.27, दिनांक 08.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डॉ० बी० आर० आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक विधान सभा में समाज सुधारकों, महापुरूषों, सामाजिक न्याय के प्रणेतागण तथा सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत डा0 बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

2.1. प्रत्येक जनपद में विद्यमान विधानसभाओं की संख्या के आधार पर कुल क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं हेतु सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जिलाधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाए।

2.2. जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यदायी संस्था को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित शासनादेश एवं डा० बी.आर. आंबेडकर मूर्ती विकास योजना के सम्बन्ध में दिनांक 09-04-2026 को निर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत 2 किश्तों में किये जाने पर विचार किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अंतिम किश्त की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को कार्य पूर्णता एवं हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (शासनादेश दिनांक 09-04-2026 के परिशिष्ट-05) उपलब्ध कराने के उपरान्त किया जाएगा।

2.3. आवंटित धनराशि कार्यदायी संस्था को दिए जाने के पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगा।

2.4. परियोजना पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा शासनादेश दिनांक 09-04-2026 के परिशिष्ट-04 पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला

समाज कल्याण अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 बी0आर0 आंबेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत धनराशि जनपदों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11/9/26

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। ।
5- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)

अनु सचिव।